



2026:AHC:55919

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 48727/2025

प्रभाकर राय

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : हेमंत कुमार सिंह, शरद चंद्र श्रीवास्तव

विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए. हरेंद्र यादव

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति नन्द प्रभा शुक्ल

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री हेमंत कुमार सिंह, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री हरेंद्र यादव की ओर से श्री शिवम यादव, राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत निष्पादन (इजारा) मामला संख्या 208/2024 (नीरज बनाम प्रभाकर) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 के तहत, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा पारित दिनांक 30.10.2025 के आक्षेपित निष्पादन आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने के लिए, और और मूल मामला संख्या 1079/2017

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(नीरज बनाम प्रभाकर) से उत्पन्न उपरोक्त निष्पादन (इजारा) मामले में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2025 द्वारा दिए गए 3,16,000 रुपये की बकाया भरण-पोषण राशि की वसूली को आसान किस्तों में जमा करने के लिए कुछ और समय प्रदान में करने के लिए दायर किया है।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्तों ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 08.09.2025 के आदेश के अनुसरण में, मामले को मध्यस्थता और सुलह केंद्र को भेजा गया था और पक्षकार स्वेच्छा से और अपनी मर्जी से दिनांक 25.02.2026 के निपटान समझौते के माध्यम से एक समझौते पर पहुंचे हैं। निपटान समझौते की विषय-वस्तु इस प्रकार है:

"(क) कि दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि वे वर्ष 2017 से अलग-अलग रह रहे हैं। आज तक, दोनों पक्ष अपनी भविष्य की वैवाहिक स्थिति के बारे में अनिर्णायक हैं। नतीजतन, वे यथास्थिति बनाए रखने और कुछ समय के लिए अलग रहने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हुए हैं।

(ख) इस बात पर सहमति हुई है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत कार्यवाही के संबंध में, आवेदक-पति एतद्वारा परिवार न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने का वचन देता है और विपरीत पक्ष संख्या 2-पत्नी को 4,000/- रुपये (चार हजार रुपये मात्र) की मासिक भरण-पोषण राशि का भुगतान करना जारी रखेगा।

(ग) दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि वर्तमान व्यवस्था अस्थायी है और निम्नलिखित भविष्य के परिणामों के अधीन है:

i. विकल्प क (सुलह/पुनर्मिलन): यदि, भविष्य में किसी भी समय, पक्ष पारस्परिक रूप से अपने मतभेदों को हल करने और अपने वैवाहिक सहवास को फिर से शुरू करने का निर्णय लेते हैं, तो वे

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संयुक्त रूप से फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसी स्थिति में, वे अपने पुनर्मिलन को रिकॉर्ड करने के लिए एक औपचारिक आवेदन/बयान दाखिल करेंगे और कानून के अनुसार अपनी वैवाहिक स्थिति को नियमित करने के लिए उचित आदेश मांगेंगे।

ii. विकल्प ख (पारस्परिक विघटन): यदि, आगे के विचार-विमर्श के बाद, पक्ष यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे पति और पत्नी के रूप में एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें आपसी सहमति से तलाक की डिक्री की मांग करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसे मामले में, दोनों पक्ष सक्षम अदालत के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आवश्यक याचिका दायर करने में सहयोग करने का वचन देते हैं और विवाह को कानूनी रूप से भंग करने के लिए सभी आवश्यक बयानों के लिए उपस्थित होते हैं।

(घ) बकाया भरण-पोषण की वसूली के संबंध में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा पारित दिनांक 30.10.2025 के आदेश के अनुसार, आज यानी 25.02.2026 को पति ने श्रीमती नीरज के पक्ष में पंजाब नेशनल बैंक पर तैयार 2,16,000/- रुपये के लिए दिनांक 23.02.2026 की संख्या 779616 वाला एक डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है और इसे प्रतिवादी संख्या 4 को सौंपा जा रहा है और उसने इसकी प्राप्ति को स्वीकार कर लिया है।

(ड) पक्षकारों के बीच इस बात पर सहमति हो गई है कि वर्तमान वैवाहिक विवाद के संबंध में एक-दूसरे के विरुद्ध दायर किए गए सभी सिविल और आपराधिक मामले, यदि कोई हों, को संबंधित पक्षकारों द्वारा उनके भावी निर्णय के अनुसार संबंधित न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष उचित कदम उठाकर या तो पुनर्मिलन या परस्पर तलाक की मांग करने के लिए वापस ले लिया जाएगा।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(च) दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि उनके पास एक-दूसरे के खिलाफ कोई और दावा या देनदारियां नहीं हैं और वे किसी भी तरह से किसी भी मुकदमेबाजी का मुकाबला नहीं करने का वचन देते हैं, जो कि तात्कालिक विवाद से संबंधित हो।

(छ) कि पक्षों के बीच यह सहमति हो गई है कि वे इस समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे।

4. तदनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन, तदनुसार, संबंधित न्यायालय को निर्देश के साथ **निपटारा** जाता है कि मामले को उपरोक्त निपटान समझौते के संदर्भ में आगे बढ़ाया जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति नन्द प्रभा शुक्ल)

18/03/2026

शिवानी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”